


बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 27.01.2016


संख्या- 1/श्रम वि०स्था० (1) 10-45/2014 श्र०सं० 202 / श्री कुमार प्रमोद नारायण सिंह, श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक), समस्तीपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 25.11.15 से 09.12.15 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों की उपाजित छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-45/2014 श्र०सं० 202 / पटना, दिनांक-27.01.2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/उप श्रमायुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।